रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 167] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 22, 1984/ज्येष्ठ 1, 1906
No. 167] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 22, 1984/JYAISTHA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 मई, 1984

अधिसूचना

सं० 159/84 सीमा शुल्क

सा० का० नि० 388(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 38—सीमा शु० तारीख 1 मार्च, 1983 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में, दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात—

(i) असेलुलोसी फाइबर के साथ सेलुलोसी फाइबर के मिश्रण या सम्मिश्र ; या

(ii) कृत्रिम फाइबरों के अपशिष्ट (जिसके अंतर्गत सूत का अपशिष्ट और खिंचे या गारनेट किए हुए, चिथड़े हैं) चाहे वे घूर्णित या कंकतकृत या अन्यथा कताई के लिए तैयार किए हुए हों या नहीं ;

को लागू नहीं होगी।"।

[फा० सं० 357/10/84-टी आर यू]

गौतम रे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd May, 1984

NOTIFICATION

No. 159/84-CUSTOMS

G.S.R. 338(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 38-Customs, dated the 1st March, 1983, namely :—

In the said notification, for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided further that nothing contained in this notification shall apply to—

(i) mixtures or blends of cellulosic fibre with non-cellulosic fibre, or

(ii) waste (including yarn waste and pulled or garnetted rags) of man-made fibres (continuous or discontinuous) whether or not carded or combed or otherwise prepared for spinning."

[F.No. 357/10/84-TRU]

GAUTAM RAY, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984